RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

# HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
# BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Appeal (Db) No. 123/2026
CNR: RJHC020246052026 | URN: CRLAD / 197U / 2026

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Smt. Savitri Wife of Late Shri Amar Singh, Resident of Barakhur Police Station Chiksana District Bharatpur.

----Complainant/Appellant

Versus

1. The State of Rajasthan, Through The P.P.

----Non-Appellant

2. Ramsharan Alias Teetu Son of Sraman Alias Babloo, Aged About 28 Years, Resident of Barakhur Police Station Chiksana District Bharatpur.

----Non-Appellant (Accused)

---

| | | |
|---|---|---|
| For Appellant(s) | : | Mr. Dhruv Atri, Adv. for<br>Mr. Harendra Singh, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Rhishi Raj Singh Rathore, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL**
**HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL**

**Judgment**

**01/10/2026**

**(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)**

**1.** अपीलार्थिया–परिवादिया सावित्री द्वारा हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस के तहत विद्वान विचारण न्यायालय– **अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–3, भरतपुर (राज0)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **25/2022 (सी.आई.एस. नंबर 197/2022)**, उनवानी प्रकरण **राज. राज्य बनाम रामशरण उर्फ टीटू** में पारित निर्णय दिनांक **09–02–2026** जिसके द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू को अपराध अंतर्गत धारा **302, 450, 506 भारतीय दंड संहिता** के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

**2.** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.08.2022 को परिवादिया श्रीमती सावित्री (गवाह पी.ड.–12) द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट

---

**(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)**
**(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)**

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(प्रदर्श पी–1) थानाधिकारी, पुलिस थाना चिकसाना के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक 13.08.2022 को उसके पति रात्रि को बैठक पर चारदीवारी के अंदर सो रहे थे। वह घर के अंदर सो रही थी, वह करीब सुबह 3 बजे भैंसों को चारा डालने के लिए जागी तब उसे घर का गेट खुला मिला, भैंस भी खुली मिली, वह भैंस बांधकर गेट लगाने के लिए गई, उसके पति चारपाई से दूर पड़े दिखे, उसने पास जाकर देखा तो खूनमखून में बेहोशी हालत में सिर में चोट लगी थी। उसने जैसे ही उसके पति को उठाने की कोशिश की तो उसकी अंगुली सिर के अंदर चली गई व खून में हो गई, चारपाई भी खून में थी। वह जोर–जोर से रोने चिल्लाने लगी तब उसके पड़ोसी दौड़कर घर आये सोनसिंह, गजेन्द्र, राजू, राजो, प्रदीप इन सभी ने उसके पति को देखा, तुरन्त विजय की वैन बुलाई उसमें पति को उठाकर राज ट्रॉमा हॉस्पीटल भरतपुर लेकर पहुंचे राज ट्रॉमा में सीरियस हालत बताकर जयपुर के लिए रैफर कर दिया। उसके पति 13.08.2022 से एसएमएस जयपुर में सीरियस हालात में वेंटीलेटर पर थे। उसे कुछ दिन पहले धमकी दी थी। शक के आधार पर टीटू (रामसरन) पुत्र बबलू (सरमन), रिंकू (नरेन्द्र) पुत्र महेन्द्र गांव बराखुर, शिवराम पुत्र खूबीराम, विश्राम पुत्र स्व. खूबीराम, संजू पुत्र शिवराम, राहुल पुत्र शिवसिंह, सूरज (कलुआ) पुत्र शिवराम, सुनीता पत्नी शिवसिंह, अनीता पत्नी शिवराम गांव शेखपुरा (कठूमर) उसे इन लोगों पर शक है। ये लोग उसके पति पर मारने की वारदात कर सकते हैं। घटना के बाद इनका फोन स्विच ऑफ है। घटना के बाद में टीटू और रिंकू घर से भाग गये हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। शकी लोगों व अज्ञात लोगों द्वारा उसके पति के साथ घर में घुसकर मारपीट की है.....इत्यादि।

**3.** उक्त तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) के आधार पर पुलिस थाना चिकसाना, जिला–भरतपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 361/2022 अन्तर्गत धारा 323, 452, 506, 307 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ देवो, रिंकू उर्फ नरेन्द्र, कुलदीपसिंह के विरुद्ध अनुसंधान अंतर्गत धारा 173(8) दं.प्र.सं. में लंबित रखते हुए अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू के विरुद्ध अपराध अंतर्गत

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

धारा 323, 452, 506, 307, 302 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–4, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस पर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उसे जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को कमिट किया गया, जहां से प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–3, भरतपुर को अंतरित किया गया एवं तत्पश्चात् अनुसंधान से देवेन्द्र उर्फ देवो, रिंकू उर्फ नरेन्द्र, कुलदीपसिंह का घटना में लिप्त होना नहीं पाते हुए धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत लंबित अनुसंधान को बंद कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

**4.** विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू को अपराध अंतर्गत धारा 506, 450, 302 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 लगायत पी.डब्ल्यू.–27 के बयान लेखबद्ध करवाये एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–40 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

**5.** विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् प्रत्यर्थी–अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए उसका भरतपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में ऑयल मिल पर रात की चौकीदारी का काम करना एवं रोजाना की भांति दिनांक 16.08.2022 की सांय को चौकीदारी करने भरतपुर चले जाना तथा उसे इस केस में शक के आधार पर झूठा फंसाया जाना कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर कर दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात् प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–7 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

**6.** विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात उभयपक्षों को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 09.02.2026 द्वारा अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू को

**(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)**
**(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)**

अपराध अंतर्गत धारा 302, 450, 506 भा.दं.सं. के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर प्रस्तुत अपील अपीलार्थिया–परिवादिया के द्वारा, प्रत्यर्थी–अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू को तलब कर उसे उक्त आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

**7.** विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया–परिवादिया का कथन है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रत्यर्थी–अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू द्वारा परिवादिया सावित्री के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसके पति अमरसिंह के ऊपर धारदार ईंट के टुकड़े से वार कर उसके सिर में गंभीर चोट कारित करना, जिससे दौराने इलाज दिनांक 12.09.2022 को उसकी मृत्यु होना एवं उक्त ईंट का टुकड़ा उससे बरामद होना पूर्णतया प्रमाणित हुआ है, किंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत, साक्ष्य पर सूक्ष्मता से एवं गहनता से अवलोकन किए बिना, अपने आलौच्य आदेश दिनांक 09.02.2026 द्वारा प्रत्यर्थी–अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू को उसके विरुद्ध आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया है, जिससे उक्त आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील, अपीलार्थिया–परिवादिया स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी–अभियुक्त रामशरण उर्फ टीटू को तलब कर उसे उसके विरुद्ध आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

**8.** विद्वान लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।

**9.** बहस ग्रहणार्थ सुनी जाकर अपीलीय पत्रावली का मय अभिलेख सम्मानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का यह केस रहा है कि प्रत्यर्थी–अभियुक्त द्वारा परिवादिया के पति अमरसिंह को दिनांक 12–08–2022 के कुछ दिन पूर्व मृत्यु कारित करने की धमकी देने के पश्चात् दिनांक 12–08–2022 व दिनांक 13–08–2022 की मध्य रात्रि में किसी समय उसके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

उसके पति अमरसिंह की हत्या करने के आशय से धारदार हथियार से वार कर उसके सिर में गंभीर प्रकृति की चोट कारित की, जिसके परिणामस्वरूप दौराने इलाज दिनांक 12–09–2022 को उसकी मृत्यु हुई!

**10.** हस्तगत प्रकरण में उक्त अभियोजन कहानी के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–14 अनुसार गवाह पी.ड.–22 भूपसिंह, गवाह पी.ड.–24 अनूप सिंह एवं गवाह पी.ड.–25 चरनसिंह को बतौर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, किंतु उक्त तीनों गवाहान ही अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उन्होंने अपने–अपने बयानों में उनके सामने कोई घटना घटित नहीं होना एवं अमरसिंह को किसने मारा अथवा वह कैसे मरा उन्हें जानकारी नहीं होना एवं पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–27, प्रदर्श पी–34, प्रदर्श पी–36 पुलिस को नहीं देना कथन किया है। गवाह पी.ड.–20 रघुवीर सिंह, पी.ड.–21 मुकेश भी अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित हुये हैं एवं उन्होंने, उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं होना कथन किया है। प्रकरण में अन्य प्रस्तुत गवाह पी.ड.–1 संजू (पुत्री), गवाह पी.ड.–2 मंजू (पुत्री) तथा गवाह पी.ड.–12 सावित्री (मृतक की पत्नी) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं, क्योंकि गवाह पी.ड.–1 संजू ने अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके पिताजी के साथ जिस दिन घटना घटित हुई, उस दिन उसका दिल्ली में ड्यूटी पर होना एवं घटना नहीं देखना स्वीकार किया है। गवाह पी.ड.–2 मंजू ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके पिता अमरसिंह के साथ हुई घटना के समय उसका घटनास्थल पर नहीं होकर अपने ससुराल मथुरा में होना एवं घटना नहीं देखना कथन किया है। गवाह पी.ड.–12 सावित्री ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके पति के साथ मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखना कथन किया है।

**11.** हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त साक्ष्य से घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होना एवं प्रकरण पूर्ण रूप से परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित होना प्रकट होता है।

**12.** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरदीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 SC 1622** में किसी

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने हेतु निम्न पांच शर्तों का पूरा होना आवश्यक बताया है:–

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें प्रकरण में पूरी तरह से स्थापित किया गया हो;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए; अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके की अभियुक्त दोषी है;

(3) परिस्थितियां निर्णायक पद्धति एवं प्रकृति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर सम्भावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए;

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार ना छूटे और यह दर्शाया जावे कि सभी मानवीय सम्भावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा;

**13.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में यदि पत्रावली पर प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड.–9 नेम सिंह, गवाह पी.ड.–10 ममता एवं गवाह पी.ड.–12 सावित्री ने अपने–अपने बयानों में घटना के दिन रात 8–9 बजे के लगभग प्रत्यर्थी–अभियुक्त को मृतक अमरसिंह के साथ झगड़ा करते देखना कथन किया गया है, किंतु उक्त तीनों गवाहान के उक्त कथन विश्वसनीय होना प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्यर्थी–अभियुक्त को मृतक अमरसिंह के साथ रात 8–9 बजे झगड़ा करते देखने बाबत् कोई तथ्य गवाह पी.ड.–12 सावित्री द्वारा घटना के चार दिन बाद दर्ज करवाई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकित नहीं हैं एवं उक्त तथ्य उसके एवं उसकी पुत्री संजू व मंजू के पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श डी–3, प्रदर्श डी–1 व प्रदर्श डी–2 में भी दर्ज नहीं हैं, कालांतर में लगभग $1^{1/2}$ माह बाद दर्ज

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

हुए गवाह नेमसिंह एवं उसकी पत्नी ममता के पुलिस बयान में उक्त तथ्य बताया गया है, जो पश्चात्वर्ती सोच के तहत किया जाना प्रकट होता है, क्योंकि हमारी विनम्र राय में भी यदि वास्तव में उनके द्वारा दिनांक 12.08.2022 को प्रत्यर्थी–अभियुक्त को अमरसिंह के साथ झगड़ा करते देखा गया होता, तो उनके द्वारा ना केवल उक्त तथ्य रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 जो कि उनकी मां एवं सास द्वारा दर्ज करवाई गई है, उसमें उल्लेख किया जाता एवं पुलिस को भी तुरंत सूचित किया गया होता। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि गवाह पी.ड.–9 नेमसिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में दिनांक 12.08.2022 से दिनांक 13.08.2022 तक उसका छुट्टी पर नहीं होकर उसका वजीरपुर थाना, जिला सवाई माधोपुर में तैनात होना एवं छुट्टी पर नहीं होना कथन किया है। रोजनामचा रपट प्रदर्श डी–5 से उसे दिनांक 12.08.2022 को प्रातः 9.13 पर डाक देने व लेने हेतु कार्यालय सवाई माधोपुर हेतु रवाना करना एवं प्रदर्श डी–6 के अनुसार उसका दिनांक 13.08.2022 को शाम 5.25 पीएम पर वापस थाने आना प्रकट होता है, उक्त रपट प्रदर्श डी–5, डी–6 में उसके घर भरतपुर जाने व उसके पिता के साथ हुई घटना देखने की बात अंकित नहीं है। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार भी किया है कि उसने प्रदर्श डी–6 में दिनांक 12.08.2022 व 13.08.2022 को रात्रि में भरतपुर आने व उस समय उसके पिता के साथ घटना घटित होने की बात नहीं लिखवाई एवं पत्रावली पर ऐसा कोई कागज नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि एसएमएस अस्पताल, जयपुर में उसके पिताजी के भर्ती होने के समय वह वहां मौजूद था। पत्रावली पर उसके सवाई माधोपुर से भरतपुर जाने के संदर्भ में उसका टिकिट व मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे उसके, दिनांक 12.08.2022 को प्रत्यर्थी–अभियुक्त को मृतक के साथ झगड़ा करते देखने बाबत् कथनों की विश्वसनीयता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है।

**14.** हस्तगत प्रकरण में अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में प्रत्यर्थी–अभियुक्त की सूचना पर उससे घटना के लगभग दस दिन बाद घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा सड़क के किनारे से जरिए फर्द प्रदर्श

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

पी–6 जब्त करना बताया गया है, किंतु प्रथम तो उक्त ईंट का टुकड़ा खुले स्थान से जब्त किया गया है एवं फर्द जब्ती ईंट प्रदर्श पी–6 में उस पर रक्त लगा होना भी अंकित नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 में यद्यपि ईंट पर रक्त लगा होना बताया गया है, किंतु वह रक्त मानव रक्त होकर मृतक का था, इस संदर्भ में कोई निर्णायक रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है एवं विचारण न्यायालय में उक्त जब्तशुदा ईंट भी अनसील्ड हालत में प्रस्तुत हुई है।

**15.** हस्तगत प्रकरण में अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में प्रत्यर्थी–अभियुक्त की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास होना बताया गया है, किंतु ना तो इस संदर्भ में विचारण न्यायालय में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ है ना ही प्रदर्श पी–18 प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी–अभियुक्त के मोबाइल नंबर के संदर्भ में होना प्रकट हुआ है।

**16.** हस्तगत प्रकरण में मृतक अमरसिंह की हत्या के पीछे उपरोक्त प्रत्यर्थी–अभियुक्त की बहन लक्ष्मी (पी.ड.–11) का उसके ससुराल वालों से विवाद होकर उसका परिवादी पक्ष के यहां रहना, प्रत्यर्थी–अभियुक्त द्वारा उसे जबरदस्ती ससुराल भेजने को लेकर विवाद होने से करना बताया गया है, किंतु इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की स्टार साक्षी गवाह पी.ड.–11 लक्ष्मी पक्षद्रोही घोषित हुई है एवं उसने अपने बयानों में प्रस्तुत अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है, बल्कि उसने परिवादी पक्ष द्वारा उससे पैसे लेकर उसका कहीं दूसरी जगह विवाह करना बताया है, जिससे मृतक की मृत्यु का हेतुक भी हस्तगत प्रकरण में संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पाया है।

**17.** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियोजन पक्ष का यह पुनित दायित्व होता है कि वह प्रकरण में प्रत्यर्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराध से जोडने के लिए उसकी प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे सिद्ध करे एवं उक्त सभी कड़ियों की श्रृंखला इतनी प्रबल, सघन, पूर्ण व अविराम हो एवं उनसे मात्र यह निष्कर्ष निकले कि मानव संभाव्यताओं की सभी दशाओं में, अपराध केवल और केवल अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है, अन्य किसी द्वारा नहीं, परन्तु हस्तगत प्रकरण में, पत्रावली

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

पर जो साक्ष्य/सामग्री अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है, उसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त कडियां टूटी हुई, बिखरी हुई व असमान हैं, जो हमारी विनम्र राय में प्रत्यर्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराध से पूर्णरूप से नहीं जोडती है।

**18.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Babu Sahebagouda Rudragoudar Vs. State of Karnataka reported in [(2024) 8 SCC 149]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि

> "38. Further, in H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581 this Court summarised the principles governing the exercise of appellate jurisdiction while dealing with an appeal against acquittal under Section 378 Cr.PC as follows:
>
> "8. xxx xxx xxx
>
> 8.1. The acquittal of the accused further strengthens the presumption of innocence;
>
> 8.2. The appellate court, while hearing an appeal against acquittal, is entitled to re-appreciate the oral and documentary evidence;
>
> 8.3. The appellate court, while deciding an appeal against acquittal, after re-appreciating the evidence, is required to consider whether the view taken by the trial court is a possible view which could have been taken on the basis of the evidence on record;
>
> 8.4. If the view taken is a possible view, the appellate court cannot overturn the order of acquittal on the ground that another view was also possible; and
>
> 8.5. The appellate court can interfere with the order of acquittal only if it comes to a finding that the only conclusion which can be recorded on the basis of the evidence on record was that the guilt of the accused was proved beyond a reasonable doubt and no other conclusion was possible."
>
> 39. Thus, it is beyond the pale of doubt that the scope of interference by an appellate court for reversing the judgment of acquittal recorded by the trial court in favour

(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)
(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

of the accused has to be exercised within the four corners of the following principles:

(a) That the judgment of acquittal suffers from patent perversity;

(b) That the same is based on a misreading/omission to consider material evidence on record; and

(c) That no two reasonable views are possible and only the view consistent with the guilt of the accused is possible from the evidence available on record."

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

**19.** अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उभयपक्षों के तर्कों पर मनन एवं उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **09–02–2026** में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं वह पुष्टि किये जाने योग्य है एवं अपील, अपीलार्थिया–परिवादिया खारिज किए जाने योग्य है।

**20.** परिणामतः अपीलार्थिया–परिवादिया के द्वारा प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय–**अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–3, भरतपुर (राज.)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **25/2022 (सी.आई.एस. नंबर 197/2022)**, उनवानी प्रकरण राज. राज्य बनाम रामशरण उर्फ टीटू में पारित निर्णय दिनांक **09–02–2026** की पुष्टि की जाती है।

**21.** इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

**(BHUWAN GOYAL),J** **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

112(S)/Rahul

**(Uploaded on 03/10/2026 at 04:58:25 PM)**
**(Downloaded on 07/10/2026 at 12:31:42 PM)**